संख्या- 65 /2024/ 424 /चार-2024-1781659

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक 31 जनवरी, 2024**

विषय- भारत – नेपाल मैत्री महोत्सव - 2024 के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1467/सं0नि0-15(78)/2022-23, दिनांक 29 जनवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत – नेपाल मैत्री महोत्सव - 2024 के आयोजन हेतु रू0 159.96 लाख (रूपये एक करोड़ उनसठ लाख छियानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) कलाकारों के मानदेय का भुगतान संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या- 2769/चार-2022 दिनांक 27.12.2022 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा। कलाकारों के मानदेय की धनराशि को छोड़कर अन्य मद में व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान शासन के अनुमोदन के उपरान्त वास्तविक बिल/वाउचर के आधार पर किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(6) संस्कृति निदेशालय द्वारा कार्यक्रमों का विवरण, फोटो/ वीडियो एवं व्यय संबंधी सभी अभिलेख सुरक्षित रखे जायें एवं पोस्ट आडिट भी कराना सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-05- नेपाल सीमा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों में मेलों/ महोत्सवों का आयोजन -42- अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधिनित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 65 /2024/ 424 (1) /चार-2024-1781659, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in